29/10/25

पत्रावली पार्टी उपरोक्त पेश हुई। वकील-प्रार्थी
उप० प्रा०पत्र प्रार्थी पेश किया जाता है। विपक्षी
नोटिस जारी किया जावे। जवाब से पेश हो।

आदेश सुनाया गया।

GCMS
2022/118

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2025.08.29 18:46:26 IST
Reason: SelfAttested

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी–सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

बुधराम बनाम रूपाराम वगैरा

किस्म मुकदमाः–212 आर.टी.ए. प्रकरण संख्याः–257/2022 (GCMS No. 257/2022)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय, इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27.08.2025	पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। वकील प्रार्थी की बहस दिनांक 20.08.2025 को सुनी गई। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र को दोहराते हुए बताया कि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 3 ता 5 के नाम से कृषि भूमि वाके तहसील सूरतगढ़ के चक 99.150 आर0डी0आर0 की जमाबंदी सम्वत् 2072 ता 75 के खाता संख्या 67/24 के पत्थर नं. 127/8 (72) का किला नं. 23–24 की 0.506 हैक्टर अ0क0, पत्थर नं. 128/1 (73) का किला नं0 3 ता 9, 12 ता 15, 17 ता 24 की 4.807 हैक्टर कमाण्ड/अ0क0 व पत्थर नं. 128/2 (81) का कि0नं0 2–3 की 0.506 हैक्टर अ0क0 इस प्रकार कुल 5.819 हैक्टर कमाण्ड व अ0क0 रकबा में प्रार्थी का 1/4 हिस्सा व शेष 3/4 हिस्सा प्रार्थी के भाई अप्रार्थी संख्या 3 ता 5 के नाम खातेदारी दर्ज होकर कब्जा काश्त में चली आ रही है। प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 3 ता 5 में अपनी खातेदारी भूमि में भारी खर्चा कर मेहनत कर काबिल काश्त बनाया है। अप्रार्थी संख्या 1 के नाम रोही मोकलसर की जमाबंदी सम्वत् 2066 ता 69 के खाता संख्या 376/29 के खसरा संख्या 281/202 में 11.662 हैक्टर बारानी भूमि रूपाराम–मनीराम पुत्र मुकनाराम के नाम 3/36 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है। उक्त भूमि पर अप्रार्थी संख्या 1–2 काबिज होकर काश्त कर रहें है। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 3 ता 5 की संयुक्त खाता की खातेदारी भूमि के पास अप्रार्थी संख्या 1 के नाम की बारानी खसरों में भूमि है। अप्रार्थी संख्या 1–2 बाप–बेटे है तथा झगड़ालू किस्म के व्यक्ति है। ये भू–माफिया किस्म के व्यक्ति है। वे प्रार्थी के खातेदारी रकबा पर कब्जा करने की फिराक में है। प्रार्थी गरीब मेघवाल जाति का खातेदार काश्तकार है। अप्रार्थी संख्या 1–2 के साथ झगड़ा नही कर सकता है। अप्रार्थी संख्या 1–2 बार–बार धमकी देते है कि वे प्रार्थी के खातेदारी रकबा में घुस जायेगें। यदि अप्रार्थी संख्या 1–2 ने ऐसा कर दिया तो प्रार्थी को कभी ना पुरा होने वाला नुकसान होगा। प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला साबित है तथा सुविधा का संतुलन तथा ना पुरा होने वाला नुकसान भी साबित है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर पूर्व में दिनांक 02.09.2022 को जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को वाद पत्र के निर्णय तक स्थाई किया जावें। वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया। तहसील सूरतगढ़ के चक 99.150 आर0डी0आर0 की जमाबंदी सम्वत् 2072 ता 75 के खाता संख्या 67/24 की 5.819 हैक्टर अ0क0/कमाण्ड खातेदारी भूमि प्रार्थी व प्रार्थी के भाईयों जो वाद पत्र में प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 के रूप में पक्षकार संयोजित है के नाम अंकित है। उक्त रकबा में प्रार्थी का 1/4 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में अंकित है। अप्रार्थी संख्या 1 के नाम तहसील सूरतगढ़ की रोही मोकलसर की जमाबंदी सम्वत् 2066 ता 2069 के खाता संख्या 376/29 के खसरा संख्या 281/202 में 11.662 हैक्टर बारानी भूमि में 3/36 हिस्सा दर्ज है। अप्रार्थी संख्या–01 के नाम अंकित रकबा खसरों में तथा रोही मोकलसर में स्थित है तथा प्रार्थी का रकबा चकबंदी में स्थित है। अप्रार्थी संख्या 1–2 बाजवुद पंजीकृत नोटिस उपस्थित नही आयें है। प्रकरण में प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित हो रहा है। प्रार्थी के हिस्सा के खातेदारी रकबा में किसी अन्य व्यक्ति को दखलदांजी करने का अधिकार नही है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाना उचित समझता हम उचित समझते है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर [illegible] पत्र [illegible] निर्णय तक अप्रार्थी संख्या 1–2 को पाबंद किया [illegible] चक 99.150 आर0डी0आर0 की जमाबंदी स[illegible] [illegible]ख्या 67/24 के पत्थर नं. 127/8 (72) का किला नं. 23–24 की 0.506 हैक्टर अ0क0, पत्थर नं. 128/1 (73) का किला नं0 3 ता 9, 12 ता 15, 17 ता 24 की 4.807 हैक्टर कमाण्ड/अ0क0 व पत्थर नं. 128/2 (81) का कि0नं0 2–3 की 0.506 हैक्टर अ0क0 इस प्रकार कुल 5.819 हैक्टर कमाण्ड व अ0क0 रकबा में से प्रार्थी के कब्जा काश्त में अनाधिकृत रूप से प्रवेश ना करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ (राज.)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Bharat Lal Prakash Meena

Date: 2025.08.29 13:46:26 IST

Reason: SelfAttested